प्रेस विज्ञप्ति

12.01.2026

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने एल्सटील मॉड्यूलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में फेमा उल्लंघनों के लिए प्रशमन (कंपाउंडिंग) आदेश जारी किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 12.12.2025 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत **एल्सटील मॉड्यूलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** के मामले में एक प्रशमन (कंपाउंडिंग) आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप फेमा, 1999 के प्रावधानों के इन उल्लंघनों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध चल रही जांच समाप्त हो गई है। उक्त आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा "अनापत्ति (नो ऑब्जेक्शन)" जारी किए जाने के बाद आरबीआई द्वारा पारित किया गया है।

इस मामले में, प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर, फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत ईडी द्वारा जांच प्रारंभ की गई। जांच पूर्ण होने के पश्चात, ईडी ने फेमा के अंतर्गत निम्नलिखित उल्लंघनों को दर्शाते हुए फेमा की धारा 16 के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दायर की, जिनके प्रशमन (कंपाउंडिंग) किए गए हैं:-

- फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(ए) के तहत विदेशी विप्रेषणों की प्राप्ति की रिपोर्टिंग में देरी, जिसकी राशि रु. 1,21,24,300/- है।

फेमा के प्रावधानों के अनुसार, उल्लंघन की प्रासंगिक अवधि के दौरान कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी एवं उत्तरदायी कंपनी तथा उसके निदेशकों/अधिकारियों को फेमा की धारा 16 के अंतर्गत कारण बताओ (शो कॉज़) नोटिस सं-टी-4/07/पीजेजेडओ/2023/एडी-सीपीएन दिनांकित 07.09.2023 जारी कर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा निर्णयन कार्यवाही प्रारंभ की गई।

कंपनी ने, बाद में, अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के तहत फेमा के अंतर्गत उक्त उल्लंघनों के प्रशमन (कंपाउंडिंग) हेतु आरबीआई के समक्ष एक आवेदन दायर किया। आरबीआई के संदर्भ पर, ईडी ने अधिनियम की वास्तविक भावना के अनुरूप ऐसे प्रशमन (कंपाउंडिंग) के लिए अनापत्ति (नो ऑब्जेक्शन) जारी की। तदनुसार, ईडी द्वारा जारी अनापत्ति (नो ऑब्जेक्शन) के आधार पर, आरबीआई ने दिनांकित 12.12.2025 के प्रशमन (कंपाउंडिंग) आदेश के माध्यम से एकमुश्त रु. 14,200 /- के भुगतान पर प्रशमन किया। परिणामस्वरूप, कंपनी के विरुद्ध फ़ेमा के प्रावधानों के तहत उपर्युक्त उल्लंघनों से संबंधित न्याय-निर्णयन कार्यवाही तथा आगे के मुकदमे की समाप्ति हुई।